प्रेस नोट दिनांक 17.01.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 01 ट्रक वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 15 राशि गोवंशो को किया गया बरामद

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन मे गोवंशो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक दिनांक16.01.2025 को उ0नि0 गोबिन्द सिंह मय हमराह के साथ थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोधना चौराहे पर चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति के दौरान जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ने आकर बताया कि एक ट्रक वाराणसी की तरफ से गोवंश लादकर कुछ पशु तस्कर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सिन्धीताली पुल NH-19 पर वाराणसी की तरफ से आने लेन पर वाहनों कि बैरिकेट लगाकर चेकिंग के दौरान कुछ समय पश्चात चेकिंग पोस्ट से पहले एक अज्ञात ट्रक वाहन खड़ा दिखाइ दिया। पुलिस टीम द्वारा उक्त ट्रक वाहन को चेक किया गया तो ट्रक के आगे व पीछे नीचे की तरफ पीले नम्बर प्लेट पर UP 15 HT 7234 लिखा है। ट्रक के अन्दर के केबिन में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ट्रक के पीछे का डाला खोला गया तो 14 राशि बैल जिन्दा व 01 राशि बैल मृत सहित कुल 15 राशि बैल बरामद किया गया। जिसके संबंध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 13/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता निवारण अधि० व धारा 325 बी.एन.एस. में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु.अ.सं. 13/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता निवारण अधि० व धारा 325 बी.एन.एस. थाना अलीनगर जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

1.15 राशि गोवंश

2.01 ट्रक वाहन UP 15 HT 7234

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण-

1.थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 गोबिन्द सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली मय हमराह